न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 36 / 2019

1. गोविन्दराम पुत्र किसनाराम जाति मेघवाल साकिन चक 17 के डब्ल्यू एम तहसील घड़साना जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
2. बुधराम पुत्र किसनाराम जाति मेघवाल साकिन चक 2 जी एम बी तहसील घड़साना जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
3. कमलादेवी पुत्री किसनाराम पत्नि डूंगरराम जाति मेघवाल साकिन चक 1 एक जी एम बी तहसील घड़साना जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
4. हँसराज पुत्र त्रिलोकचन्द जाति मेघवाल साकिन चक 2 जी एम बी तहसील घड़साना जिला श्री गंगानगर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. तेजाराम पुत्र दानाराम जाति मेघवाल साकिन थिराजवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. महेन्द्रोदेवी पनि त्रिलोकचन्द जाति मेघवाल साकिन चक 2 जी एम बी तहसील घड़साना जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
3. ईशवरचन्द पुत्र त्रिलोकचन्द जाति मेघवाल साकिन चक 2 जी एम बी तहसील घड़साना जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
4. सोमादेवी पुत्री त्रिलोकचन्द पत्नि राजकुमार जाति मेघवाल साकिन चक 7 एल एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
5. नीमादेवी पुत्री त्रिलोकंचन्द पत्नि महावीर जाति मेघवाल साकिन चक दुलरासर तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
6. रामस्वरूप पुत्र तेजाराम जाति मेघवाल साकिन थिराजवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. एस बी बी जे शाखा लिखमीसर जरिये शाखा प्रबन्धक हाल एस बी आई (बैंक) शाखा लिखमीसर तहसील जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. एस बी आई शाखा पीलीबंगा जरिये शाखा प्रबन्धक एस बी आई (बैंक) शाखा पीलीबंगा तहसील जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
9. पी एन बी शाखा पीलीबंगा जरिये शाखा प्रबन्धक पी एन बी (बैंक) शाखा पीलीबंगा तहसील जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:00:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. [illegible] ई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जसपाल सिंह दहिया — प्रार्थीगण
2. श्री मदन गोपाल मेहरड़ा — अप्रार्थी सं. 2 व 3
3. श्री कुलदीप सिंह धालीवाल —अप्रार्थी सं. 1 व 6
4. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। — अप्रार्थी सं. 10

–:: निर्णय :–

दिनांकः– 30/06/25

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कियह कि प्रार्थीगण का उक्त अनवान का दावा श्री मान जी के न्यायालय में जेरकार है जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्ण आशा है। यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण न. 1 ता 6 एक ही हिन्दू खानदान के सदस्य हैं व संयुक्त खातेदारान है। व हिस्सेदारान हैं। जिन पर हिन्दू विधि लागू होती है।

यह कि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 9 एल के एस बी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू का खाता सं. 4/4 का प.न. 4/287 मु.न. 31 कि.न. 11,20,21/759, व प.न. 5/287 मु.न. 32 कि.न. 1 ता 25 कुल 7.084 है. नहरी मय गै.मु. खाला रास्ता में सं स्वः आसीदेवी पत्नि दानाराम के नाम 5/60 हिस्सा व अप्रार्थी न. 1 के नाम 7/60 हिस्सा व प्रतिवादी न. 1 के नाम ही 1/5 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है। यह कि वाके तहसील पीलीबंगा के चक चक 16 एल जी डब्ल्यू ए की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू का खाता सं. 141 का प.न. 3/299 मु.न. 63 कि.न. 4,5, 6/1/152, 9 ता 13, 16 ता 25 की कुल 4.453 है. मय गै. मु. खाला खातेदारी कृषि भूमि मेंसे प्रतिवादी न. 1 के पुत्र रामस्वरूप पुत्र तेजाराम के नाम 88 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है । यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार से है–

यह कि वाके तत्तकालीन तहसील सूरतगढ़ हाल तहसील पीलीबंगा चक 16 एल जा डब्ल्यू का प .न. 3/299 कि.न. 4 ता 22 की 22 बीघा नहरी मय गै. मु. कृषि भूमि मिसल न. 4210 दिनांक 20.8.1957 को वादी न. 1 का पड़दादा का पिता भैराराम के नाम आवंटन होकर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी हुई है। अवलोकनार्थ उपनिवेशन विभाग की उक्त जमाबन्दी पेश है।

यह कि वाके तत्तकालीन तहसील सूरतगढ़ हाल तहसील पीलीबंगा चक 16 एल जी डब्ल्यू का मुताबिक इन्तकाल न. 49 का प.न. 3/299 मु.न. 63 कि.न. 4 ता 6, 9 ता 13, 16 ता 25 की 4.453 है. नहरी मय गै. मु. कृषि भूमि जो उक्त किसनाराम को उक्त स्वः रामपाल पुत्र भैराराम से विरास्तन प्राप्त हुई है। जो 88 हिस्सा है। जिसको उक्त किसनाराम वल्द रामपाल ने विधि विरूद्ध व गलत तरीका से प्रार्थीगण का हक मारने के लिये प्रतिवादी न. 1 तेजाराम को गलत दिनांक 16.8. 1989 को गलत बेचान कर दी जिसे उक्त तेजाराम ने गलत तीरका से व विधि विरूद्ध प्रतिवादी न. 6 रामस्वरूप पुत्र तेजाराम के नाम दर्ज करवा दी है। उक्त पैतृक कृषि भूमि को बेचान करने का उक्त किसनाराम को कानूनन कोई हक नहीं था । मुताबिक हिन्दू विधि जन्म से ही वादी न. 1 ता 3 व वादी न. 4 व प्रतिवादी न . 2 ता 5 का पिता स्वः त्रिलोकचन्द को अपने पिता स्वः किसनाराम पुत्र रामपाल के ब. हिस्सा बराबर बराबर उक्त 88 हिस्सा में प्राप्त कानूनन हो चुका है जिसे उक्त बैय नामा के जरिये हम प्रार्थीगण व उक्त स्वः त्रिलोकचन्द का हक व हिस्सा कानूनन बेचान नहीं हुआ है। जिससे प्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा की घोषणा पाने के कानूनन हकदार है।

यह कि वाके तहसील पीलीलबंगा का चक 9 एल के एस बी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू का प.न. 4/ 287 व प.न. 5/287 की कुल 7.048 है. नहरी मय गै. मु. कृषि भूमि मेंसे उक्त किसनाराम को कृषि भूमि जो उक्त स्वः भेराराम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी में से उक्त भैराराम के फौत होने से हम प्रार्थीगण के दादा रामपाल पुत्र भैराराम को 4/5 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा विरास्तन मिला जो कि उक्त रामपाल के फौत हो जाने से उसके पुत्र अकेले किसनाराम पुत्र रामपाल [illegible] हुई जबकि उक्त स्वः रामपाल पुत्र स्वः भैराराम के वारिसान के अनुसार उक्त [illegible] ल को उक्त 7.048 है. में से 1/5 हिस्सा विरास्तन प्राप्त होती है [illegible] दर्ज हुआ है। जिससे उक्त कृषि भूमि मेंसे मुताबिक [illegible] वादी न. 1 ता 3 व उनके भाई उक्त स्वः त्रिलोकचन्द की [illegible] नाराम के ब. हि. बराबर बराबर का हक हिस्सा कानूनन बनता हैं। जिसकी घोषणा पाने [illegible] प्रार्थीगण व प्रतिवादी न. 2 ता 5 कानूनन हकदार है। जबकि उक्त चक 9 एल के एस बी की उक्त 7.048 है. कृषि भूमि जो कि हम वादीण का दादा स्वः रामपाल का 1/5 हिस्सा जो उक्त किसनाराम को विरास्तन प्राप्त हुआ था। उसमें से उक्त किसनाराम पुत्र रामपाल का उक्त अनुसार 1/5 हिस्सा ही बनता था। जबकि उक्त स्वः किसनाराम ने नाजायज तौर पर हम प्रार्थी न. 1 ता 3 व वादी न. 4 व वादी न. 3 ता 5 का पिता व प्रतिवादी न. 2 का पति स्वः त्रिलोकचन्द का हक व हिस्सा यानि

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:00:39 IST
Reason: SelfAttested

7.048 है. में से 1/5 हिस्सा में से 4/5 हिस्सा ब. हिस्सा बराबर बराबर को जो कि मुताबिक हिन्दू विधि प्रार्थीगण व उक्त स्वः त्रिलोकचन्द को ब. हि. बराबर प्राप्त हुआ है। को बेचान जरिये पंजियन शुदा बैय नामा दिनांक 16.8.1989 को कर दिया व हम वादी न. 1 ता 3 व प्रतिवादी न. 3 ता 5 का पिता व प्रतिवादी न. 2 का पति त्रिलोकचन्द का उक्त विरासतन प्राप्त हक व हिस्सा का नाजायज तौर से जरिये उक्त बैय नामा के बेचान कर दिया जबकि मुताबिक हिन्दू विधि उक्त बैय नामा के जरिये प्रार्थीगण व उक्त स्वः त्रिलोकचन्द के वारिसान का उक्त 7.048 है. में से 1/5 हिस्सा में से 4/5 हिस्सा ब. हि. बराबर बैचान कानूनन नहीं हुआ है। जिसका उक्त बैय नामा हम प्रार्थीगण व प्रतिवादी न. 3 ता 5 का हक व हिस्सा स्वः त्रिलोकचन्द पुत्र किसनाराम के उक्त हक व हिस्पा की हद तक उक्त बैय नामा शून्य प्रभावी है। जिससें प्रार्थीगण उक्त दोनों बैय नामें प्रार्थीगण व प्रतिवादी न. 2 ता 5 के हक व हिस्सा तक शून्य प्रभावी हैं। जिसकी घोषणा की जाकर प्रार्थीगण व प्रतिवादी न. 2 ता 5 के हक व हिस्सा की घोषणा की जावे व प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वकार कर डिक्री किया जावे। अप्रार्थी न. 2 ता 5 का उक्त हकका हक व हिस्सा कान अवलोकनार्थ उपनिवेशन विभाग की उक्त जमाबन्दी व उक्त कृषि भूमि की चक 16 एल जी डब्ल्यू सन् 1960 की प्रमाणित प्रति व जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2044 की उक्त कृषि भूमि 7.084 चक 9 एल जी डब्ल्यू की व उक्त बैय नामों की प्रमाणित प्रति पेश है। हम प्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि पर काब्ज काश्त चले आ रहे हैं। यह कि अप्रार्थीगण ने हम प्रार्थीगण के खिलाफ एक गुट बना लिया है जिससे अप्रार्थीगण हम प्रार्थीगण के हक व हिस्सा की कृषि भूमि को जो प्रार्थना पत्र की दफा 2 ता 8 में वर्णित है को रहन बैय व अन्य तरीका से अन्तरण करने पर व हम प्रार्थीगण के हक व हिस्सा पर हमारे कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करने पर आमादा है यदि अप्रार्थीगण अपने गलत मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी जिससे प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खिलाफ ता फैसला प्रार्थना पत्र अस्थाई निशेधाज्ञा पाने के हकदार हैं कि अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य तरीका से अन्तरण नहीं करें।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आश्य की अस्थाई निशेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण ता फैसला दावा ताके तहसील पीलीबंगा के चक 9 एल के एस बी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू का खाता सं. 4/4 का प.न. 4/287 मु.न. 31 कि.न. 11,20,21/759, व प.न. 5/287 मु.न. 32 कि.न. 1 ता 25 कुल 7.084 है. नहरी मय गै.मु. खाला रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से 1/5 हिस्सा को व तहसील पीलीबंगा के चक चक 16 एल जी डब्ल्यू ए की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू का खाता सं. 141 का प.न. 3/299 मु.न. 63 कि.न. 4,5, 6/1/152, 9 ता 13, 16 ता 25 की 4.453 है. मय गै. मु. खाला खातेदारी कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य तरीका से अन्तरण नहीं करें व रिकॉर्ड व मौका की यथा स्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से बाद रिपोर्ट सरिस्ता एक पक्षिय बहस सुनी गई। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी शुदा है अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री मदन गोपाल महरड़ा अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है। शामिल वाद है। अप्रार्थी संख्या 1 व 6 की ओर से श्री कुलदीप सिंह धालीवाल की ओर से वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया गया है अप्रार्थी सं.1 व 6 की ओर से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जबाव निम्न प्रकार से है– कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कथन उपरोक्त अनवान का वाद श्रीमान न्यायालय में जेरकार होने की हद तक स्वीकार है। शेष कथनन असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का कोई आधार नही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:00:39 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं.1 व 6 कभी भी एक ही हिन्दू खानदान के सदस्य नही रहे। कि प्रार्थीगण का यह कथन भी पूर्ण रूप से असत्य होने से अस्वीकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सयुक्त खातेदारान व हिस्सेदारान हो। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 व 6 की कभी भी कोई भूमि सहखातेदारी की नही रही ।

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं 3 में वर्णित कथन असत्य होने के कारण अस्वीकार है, प्रश्नगत चक 9 एल के एस बी के प.नं.4/287 का किला नं.11,20,21 व प.नं.5/287 के किला नं.1 ता 25 की 7.084 हैक् भूमि में स्व. आसीदेवी पत्नी दानाराम का 5/60 हिस्सा हो। स्व.आसीदेवी अपने जीवनकाल जरिये पंजीकृत बैयनामा अपना समस्त हिस्सा अप्रार्थी सं.1 को विक्रय करके भूमि का अधिपत्य अप्रार्थी सं.1 को सौप चुकी है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं 4 में वर्णित कथन सत्य होने के कारण स्वीकार है चक 16 एल.जी.डब्ल्यू. की 4.453 है0 भूमि में अप्रार्थी सं.1 के पुत्र अप्रार्थी सं.6 रामस्वरूप का 88 हिस्सा दर्ज होने के कथन सत्य है। अप्रार्थी सं.6 के नाम दर्ज हुआ हिस्सा सहायक कलैक्टर न्यायालय पीलीबंगा में विचाराधीन वाद सं.19/2015 अनवान रामस्वरूप आदि विरूद्ध तेजाराम आदि निर्णय/डिक्री दिनांक 06.07.2015 की पालना में दर्ज हुआ है।

कि प्रार्थना पत्र की चरण सं 5 में दर्शायी गई वंशावली अधुरी दर्शायी गई है। कि प्रार्थना पत्र की चरण सं 6 में वर्णित कथन असत्य होने के कारण अस्वीकार है। कि प्रार्थी के पडदादा से प्रश्नगत भूमि रामपाल को कभी भी विरास्त के रूप में प्राप्त नही हुई।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 7 में वर्णित कथन असत्य होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीगण के पडदादा के जीवनकाल में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 ता 5 का जन्म ही नही हुआ था। कि प्रार्थीगण का यह कथन पूर्ण रूप से मिथ्या है कि किशनाराम ने प्रश्नगत भूमि चक 16 एल. जी. डब्ल्यू के प.नं. 3/299 का किला नं.4,5,6,9 से 13,16 से 25 की 4.453 है0 में से अपना 88 हिस्सा गलत व विधिविरूद्ध तरीके से प्रार्थीगण का किसी रूप में हक व हिस्सा मारने के लिये अप्रार्थी सं. 1 तेजाराम को दिनांक 16.08.1989 को गलत बेचान की हो बल्कि किशनाराम ने अपनी भूमि अप्रार्थी सं.1 को विक्रय करने के लिये दिनांक 26.07.1989 को श्रीमान जिला कलैक्टर श्री गंगानगर से स्वीकृति प्राप्त करके ही दिनांक 16.08.1989 को अपनी भूमि विक्रय की गई है। जो किसी भी रूप में विधिविरूद्ध बैचान नही है। प्रार्थीगण का यह कथन पूर्ण रूप से मिथ्या है कि उक्त भूमि को अप्रार्थी सं.1 ने गलत तरीके से व विधिविरूद्ध अप्रार्थी सं.6 के नाम दर्ज करवाई गई हो अपितू उक्त वर्णित भूमि अप्रार्थी सं.6 के नाम दर्ज चक 16 एल. जी. डब्ल्यू. के प.नं. 8/302 का किला नं 1 ता 11 व प.नं.8/301 के किला नं.22 ता 25 की 3.795 हैक् भूमि में 1/2 हिस्सा के बदले मुताबिक सहायक कलैक्टर पीलीबंगा की डिक्री दिनांक 06.07.2015 प्रकरण सं. 19/2015 अनवान रामस्वरूप आदि विरूद्ध तेजाराम आदि की पालना में अप्रार्थी सं. 6 को चक 16 एल.जी. डब्ल्यू के प.नं. 3/299 का किला नं.4,5,6,9 से 13,16 से 25 की 4.453 है0 में से अपना 88 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई है जो किसी भी रूप में गलत नही है। प्रार्थीगण का प्रश्नगत भूमि मे किसी भी रूप मे जन्म से हक व हिस्सा नही है। प्रार्थीगण द्वारा किशनाराम द्वारा करवाये गये बैयनामा दिनांक 16.08.1989 को चुनौति देते हुये श्रीमान सहायक कलैक्टर न्यायालय पीलीबंगा मे गोविन्दराम आदि बनाम तेजाराम आदि का वर्ष 2011 मे प्रस्तुत किया गया था जो खारिज हो चूका है जिसके सम्बन्ध मे विस्तृत कथन अतिरिक्त कथनो मे दर्ज किये गये है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण स. 8 मे जिस प्रकार कथन वर्णित किये गये है असत्य होने से अस्वीकार है। चक 9 एल के एस (बी) की प्रश्नगत 7.084 हैक्टर भूमि कभी भी किशनाराम को भैराराम से प्राप्त नही हुई ना ही प्रश्नगत भूमि मे कभी प्रार्थीगण के दादा रामलाल पुत्र भैराराम का 4/5 हिस्सा मे से 1/4 हिस्सा रहा। चक 9 एल के एस बी की भूमि किसी भी रूप मे प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति नही है जिसमे प्रार्थीगण का किसी भी रूप मे अपने पिता के बराबर का हक व अधिकार नही था। [illegible] अपने नाम दर्ज भूमि का स्वामित्व जरिये बैयनामा दिनांक 16.08.1989 को अपने [illegible] व [illegible] की भूमि का विक्रय करके विक्रयशुदा भूमि का अधिपत्य अप्रार्थी [illegible] अप्रार्थी स. 1 दिनांक 16.08.1989 के दिवस से निर्विवाद [illegible] करता चला आ रहा है। किशनाराम अपने नाम दर्ज भूमि का पूर्ण स्वामी था जिससे अपने नाम दर्ज भूमि को तेजाराम को विक्रय करने के लिये श्रीमान जिला कलैक्टर व जिला दण्डनायक श्रीगंगानगर से अपनी उपरोक्त वर्णित भूमि विक्रय करने की दिनांक 26,07.1989 को विधिवत रूप से स्वीकृति प्राप्त की तथा विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही किशनाराम ने अपनी भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 16.08.1989 को विक्रय की गई है। प्रार्थीगण द्वारा किशनाराम द्वारा करवाये गये बैयनामो को स्वीकार करते हुये किशनाराम के जीवनकाल मे कोई चुनौति दी गई व न ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:00:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

उसकी मृत्यु के पश्चात हस्तगत वाद से पूर्व दिनांक 16.08.1989 के बैयनामो को किसी सक्षम न्यायालय मे चुनौति दी गई है। प्रार्थीगण व मृतक त्रिलोकचन्द को किशनाराम द्वारा करवाये गये दिनांक 16.08.1989 के बैयनामा के दिवस से ही जानकारी रही है। किशनाराम द्वारा अपनी भूमि विक्रय करके तहसील घडसाना मे भूमि खरीद की गई तथा किशनाराम व उसका परिवार गांव थिराजवाला छोडकर घडसाना तहसील मे निवास करने लगे तब से लेकर प्रार्थीगण लगातार घडसाना तहसील मे निवास कर रहे है। किशनाराम द्वारा भूमि विक्रय करने के पश्चात से किशनाराम का परिवार कभी भी गांव थिराजवाला निवासरत नही रहा तथा न ही प्रार्थीगण का चक 16 एल जी डब्ल्यु व चक 9 एल के एस बी की भूमि के किसी भाग पर बैयनामा के पश्चात से कभी किसी रूप में कब्जा काश्त रहा। वर्तमान मे भी प्रार्थीगण का प्रश्नगत भूमि के किसी भाग पर कब्जा काश्त नही होने के कारण ही प्रार्थीगण ने अपने वाद मे अपना किस पत्थर न. के किस किला न. पर कब्जा है का कोई उल्लेख दर्ज नही किया है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण स. 9 मे वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण ने गूट बना रखा हो। कि प्रार्थीगण के पिता/दादा किशनाराम ने अप्रार्थी स.01 तेजाराम के पक्ष में दिनांक 16.08.1989 को दो बैयनामों के जरिये प्रश्नगत भूमि में अपने हक व हिस्सा की भूमि के बैयनामें अपनी स्वेच्छा से रोबरू गवाहान लेखबद्व करवाकर उपपंजीयक पीलीबंगाा से पंजीकृत करवाये गये होने से अप्रार्थी स. 1 व 6 अपनी खरीदशुदा भूमि का मनचाहा उपयोग व उपभोग करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने लालच से वशीभूत होकर उपरोक्त वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण के पक्ष में किसी भी रूप में प्रथम दृष्टया, मामला सुविधा का सन्तूलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू नही होने से प्रार्थीगण अप्रार्थी स.1 की खरीदशुदा भूमि के सम्बंध में कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण की ओर से किये गये अभिकथनों का विस्तृत जवाब अतिरिक्त कथनों में दर्ज है।

अतिरिक्त कथन

यह कि प्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के पिता व प्रार्थी सं. 4 के दादा किशनाराम पुत्र रामपाल के नाम तत्कालिन तहसील सूरतगढ हाल तहसील पीलीबंगा के चक 16 एल जी डब्ल्यु के प. न. 3डब्ल्यु/299 के किला न. 4 ता 6, 9 ता 13, 16 ता 25 की 4.453 हैक्टर भूमि मे किशनाराम का 88 हिस्सा व चक 9 एल के एस बी के प. न. 4/287 के किला न. 11,20,21 व प. न. 5/287 के किला न. 1 ता 25 की 7.084 हैक्टर भूमि मे किशनाराम का 1/5 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड था। प्रार्थीगण के पिता/दादा किशनाराम ने जब प्रार्थीगण व्यस्क थे ने दिनांक 01.01.1988 को अपने परिवार की विधिक आवश्यकता व वैध कर्जा अदायगी हेतू अपनी चक 16 एल.जी.डब्ल्यू. व चक 9 एल.के.एस. (बी) की 10 बीघा भूमि विक्रय करने का इकरारनामा करके साई पेटे रोवरू गवाहान 40,000रूपये प्राप्त करके प्रश्नगत भूमि का कब्जा मुझ अप्रार्थी सं.1 को सौपा गया। जिसकी लिखित किशनाराम ने अपनी स्वेच्छा से अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में रोवरू गवाहान लिखवाकर एवं नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर अप्रार्थी सं. 1 को सुपुर्द की । मुताबिक इकरारनामा प्रार्थीगण के पिता किशनाराम ने अप्रार्थी सं.1 से दिनांक 01.07.1988 को 30,000 रूपये रोबरू गवाहान प्राप्त इकरारनामा दिनांक 01.01.1988 की पुश्त पर 30,000 रूपये प्राप्ति का लेख करवाकर अपने अगुष्ठ चिन्ह किया। कि किशनाराम ने अप्रार्थी सं.1 के साथ किये गये इकरारनामा के आधार पर बैयनामा करवाने के लिये प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी सं.1 के नाम विक्रय करने हेतू श्रीमान जिला कलैक्टर एवं जिला दण्डनायक श्रीगंगानगर से स्वीकृति क्रमांक एफ 12/11/1513/राजस्व/89/11291 दिनांक 26.07.1989 को प्राप्त की। जिसके आधार [illegible] किशनाराम ने अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में दिनांक 16.08.1989 को दो बैयनामो के ज[illegible] भूमि में अपने हक व हिस्सा की भूमि के बैयनामे अपनी स्वेच्छा से [illegible] उपपंजीयक पीलीबंगा से पंजीकृत करवाये गये। जिसके आधार पर [illegible] किशनाराम का हक व हिस्सा अप्रार्थी सं.1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुआ उक्त बैयनामों में स्टाम्प ड्यूटी कम लगी हुई होने से उपमहानिरीक्षक एवं कलैक्टर (मुंद्राक) हनुमान[illegible] द्वारा प्रार्थीगण के पिता/दादा किशनाराम व अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एक प्रकरण सं. 329/1992 स्टेट बनाम किशनाराम आदि विचाराधीन रहा जिसमे प्रार्थीगण का पिता/दादा किशनाराम उपस्थित होता रहा। कि प्रार्थीगण के पिता/दादा किशनाराम द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में करवाये गये प्रश्नगत भूमि के बैयनामा दिनांक 16.08.1989 को प्रार्थी सं. 1 गोविन्दराम की आयु 24 वर्ष, प्रार्थी सं. 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:00:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

बुधराम की आयु 19 वर्ष, प्रार्थी सं.3 कमला की आयु 26 वर्ष एवं प्रार्थी सं. 4 त्रिलोकचन्द की आयु 27 वर्ष थी। कि प्रार्थीगण को उनके पिता/ दादा द्वारा प्रश्नगत भूमि के विक्रय करने के किये गये अप्रार्थी सं. 1 के साथ इकरारनामा की पूर्ण जानकारी थी एवं प्रश्नगत भूमि विक्रय करने के लिये प्रार्थीगण पूर्ण रूप से सहमत थे। प्रार्थीगण सं.1, 3, 4 की उपस्थिति में ही प्रार्थीगण के पिता/दादा किशनाराम द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा मुझ अप्रार्थी सं. 1 को सुपूर्द किया गया तब से लेकर अप्रार्थी सं.1 प्रश्नगत कृषि भूमि पर किशनाराम के हिस्सा की भूमि पर स्वामी के रूप में काश्त करता चला आ रहा है। मुताबिक न्यायलय की डिक्री वर्ष 2015 से अप्रार्थी सं. 6 तक चक 16 एल जी उबल्यु की भूमि काश्त करता चला आ रहा है। कि प्रार्थीगण के पिता/दादा किशनाराम अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में करवाये गये प्रश्नगत भूमि के बैयनामा के निष्पादन के पश्चात लम्बे समय तक जिवित रहे। कि यदि किशनाराम द्वारा बिना किसी अधिकारिता व बिना किसी वैध आवश्यकता के प्रश्नगत भूमि का बैयनामा मुझ अप्रार्थी के पक्ष में करवाया होता तो प्रार्थीगण किशनाराम के जीवनकाल में ही प्रश्नगत भूमि के बैयनामो को चुनौति दे सकते थे। कि प्रश्नगत कृषि भूमि किसी भी रूम में न तो प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति है एवं न ही किसी भी रूप में प्रार्थीगण का प्रश्नगत कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा निहित है कि प्रार्थीगण के पिता/दादा किशनाराम द्वारा निष्पादित प्रश्नगत भूमि के बैयनामें दिनांक 16.08.1989 के प्रभावी होते एवं प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि के बैयनामो को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये जाने से पूर्व प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में किसी हक व हिस्सा की घोषणा करवाने के अधिकारी नही है। कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रश्नगत भूमि में अपने अधिकारो की घोषणा हेतू प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण का प्रश्नगत भूमि के किसी भी भाग पर कब्जा काश्त नही होने से प्रार्थीगण कब्जा के अभाव में केवल मात्र घोषणा का वाद लाने के अधिकारी नही है।

यह कि चक 16 एल जी डब्ल्यु के प. न. 3/299 के किला न. 4,5,6,9 ता 13, 16 ता 25 की 4.453 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध मे श्रीमान न्ययालय द्वारा प्रकरण 19/2015 अनवान रामस्वरूप आदि बनाम तेजाराम आदि का निर्णय दिनांक 06.07.2015 के द्वारा उक्त वर्णित भूमि के तेजाराम के नाम दर्ज 88 हिस्से का अप्रार्थी सं. 6 को खातेदार घोषित किया जा चूका है। प्रार्थीगण उक्त निर्णय व डिक्री को चुनौति दिये बिना हस्तगत वाद लाने के अधिकारी नही है।

यह कि प्रार्थी सं. 1 से 3 द्वारा श्रीमान न्यायालय मे अप्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी सं. 4 को अप्रार्थी के रूप मे पक्षकार संयोजित करते हुये वर्ष 2011 मे उक्त वर्णित विवादित भूमि का अपने को खातेदार घोषित करने हेतू एक राजस्व वाद गोविन्दराम आदि बनाम तेजाराम प्रस्तुत किया गया जिसमे अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी प्रस्तुत किया जाने के पश्चात प्रार्थीगण का वाद प्रार्थीगण की अनुपस्थिति मे खारिज हो चूका होने से प्रार्थी नया वाद लाने से वर्जित है।अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के महज अप्रार्थी सं.1 व 6 को तंग परेशान करने के दुर्भावना पूर्वक आश्य से प्रस्तुत किया गया होने के कारण विशेष परिव्यय सहित निरस्त करने की कृपा की जावें।

प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही जारी शुदा है एवं अप्रार्थी संख्या 7 ता 9 फोर्मल पार्टी है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का अनैक अवसर दिये जाने पर जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर जवाब बंद किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 10 स्टेट जवाब प्राप्त किया जा चुका है शामिल पात्रावली है।

प्रकरण में प्रार्थना पत्र 212 आरटी[illegible] प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया गया कि तेजाराम क्रेता है विक्रेता [illegible] भूमि थी अस्थाई निषेधाज्ञा ता दावा फैसला कर्फम की जावे। अप्रार्थीगण [illegible] कथन किया गया कि विवादित भूमि का अपने को खातेदार [illegible] राजस्व वाद गोविन्दराम आदि बनाम तेजाराम प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी प्रस्तुत किया जाने के पश्चात प्रार्थीगण का वाद प्रार्थीगण की अनुपस्थिति मे खारिज हो चूका होने से प्रार्थी नया वाद लाने से वर्जित है प्रार्थना पत्र खाजिर किया जावे। बहस पर मनन व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों एवं न्यायिक दृष्टांतो का समान अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना इस लिए उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:00:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

खातेदार के हिस्से तक संयुक्त संपति के सभी अंशाधारी कब्जे में होना माने जाते है अप्रार्थीगण निर्बाध रूप से रिकोर्डेड खातेदार है। उनको अपने हिस्से की भूमि को विक्रय/अन्तरण/रहन न करने से पांबद नहीं किया जा सकता है। (आरआरटी 2009 (1) पेज (25) किसी भी रिकोर्डेड खातेदार के खिलाफ बिना मूल दावा अंतिम डिक्री तक अस्थाई व्यादेशा जारी कर अनवरत् किया जाना उचित व संगत प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण के पिता/दादा किशनाराम द्वारा निष्पादित प्रश्नगत भूमि के बैयनामें दिनांक 16.08.1989 के प्रभावी होते अस्थाई व्ययादेश ताफैसला कंफर्म करना उचित नहीं है प्रकरण प्रार्थीगण को प्रश्नगत भूमि के बैयनामो को सक्षम सिविल न्यायालय में अपील का है राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है इसलिए अस्थाई व्यादेशा जारी कर अनवरत् किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नबंर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न मूल वाद रहे।

यह आदेशा आज दिनांक 30/06/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:00:39 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा